



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1540/DL/5/2023-APCR

दिनांक :06/05/2024

प्रति

श्री महावीर कुमार मीणा,  
फ्लैट न .443, 2<sup>nd</sup> फ्लोर,  
सेक्टर A-10, पॉकेट - 6,  
नरेला, दिल्ली -110040,  
मो न :9873485553


विषय : अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के सम्बन्ध में श्री महावीर कुमार मीणा, फ्लैट न . 443, 2nd फ्लोर, सेक्टर A-10, पॉकेट - 6, नरेला, दिल्ली की शिकायत।

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **10-05-2024 समय 11:30 AM** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

  
(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)  
उप निदेशक/ Deputy Director  
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in